



प्रेस विज्ञप्ति

02-07-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सी. एस. पी. एल.) और अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में 25.06.2025 पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट अनंत कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अनंत कुमार अग्रवाल को माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय अदालत ने अनंत अग्रवाल की ईडी हिरासत 5/07/2025 तक दे दी है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अनंत कुमार अग्रवाल, सीए ने एक विस्तारित अवधि में सुबोध कुमार गोयल (यूको बैंक के पूर्व सीएमडी) की ओर से अपराध की आय (पीओसी) को धनशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जानबूझकर नकली असुरक्षित ऋण और नकदी के बदले में शेयर पूंजी जैसे काल्पनिक वित्तीय लेनदेन के माध्यम से अवैध धन के स्तर को सुविधाजनक बनाने के लिए मुखौटा (शेल) कंपनियों के एक जाल को शामिल और संचालित किया। अनंत कुमार अग्रवाल को भी इन सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त हुआ। उन्होंने धनशोधन कार्यों में सीधे शामिल कंपनियों में भी प्रमुख पदों पर कार्य किया और अवैध धन के रूपांतरण के लिए ऐसी कंपनियों का उपयोग किया। इस तरह के अवैध धन को शेयर पूंजी और असुरक्षित ऋण के रूप में खातों में लाया गया था।

इससे पहले, सुबोध कुमार गोयल को इस मामले में सी. एस. पी. एल. को 1460 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में एन. पी. ए. में बदल गया। सी. एस. पी. एल. को ऋण स्वीकृत करने के बदले, एस. के. गोयल को नकदी, अचल संपत्तियों, विलासिता के सामानों और सेवाओं के रूप में पर्याप्त अवैध लाभ प्राप्त हुए, जो फर्जी कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से दिए गए। रिश्वत के व्यवस्थित निपटान के लिए अग्रणी कंपनियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों और संरचित परतों के उपयोग को भी दर्शाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

इसके अलावा, ईडी ने उन व्यक्तियों से धन उगाही में लगे विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी तलाशी ली, जिनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की थी। उक्त जांच में मदद करने का झूठा वादा करके उक्त धन निकाला गया था। तलाशी के दौरान नकदी, सोना और विभिन्न अपराध संकेती रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।